

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 280/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र हीराराम उर्फ हरीराम जाति सुनार निवासी डुंगरी तहसील चितलवाना जिला जालोर, राजस्थान	1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।	

उपस्थित : प्रार्थीनी वकील - श्री आम्बाराम पूनड़

-: निर्णय :-

दिनांक:- 23/01/26

प्रार्थी देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र हीराराम उर्फ हरीराम जाति सुनार निवासी डुंगरी तहसील चितलवाना जिला जालोर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि " कि सरहद मौजा ओगाला, पटवार क्षेत्र ओगाला, भू-अभिलेख क्षेत्र पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 698/305 रकबा 0-6151 हैक्टेयर किस्म .बा.सो. का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम देवीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम दर्ज करना था जो रेकर्ड तज्वीज करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी नें लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम देवीलाल की जगह देवाराम व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम की जगह पर हरीराम दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थी का नाम देवाराम व प्रार्थी के पिता का हरीराम कभी नहीं रहा है, प्रार्थी का वास्तविक नाम देवीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम ही है कि देवीलाल व देवाराम व हीराराम व हरीराम एक व्यक्ति के नाम हैं जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी देवीलाल का आधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि लेकिन राजस्व रैकर्ड में लिपिकीय भूल से प्रार्थी देवीलाल का नाम गलत लिख देने से प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी का नाम देवीलाल की जगह देवाराम व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम की जगह पर हरीराम दर्ज कर देने से प्रार्थी को हर जगह तरह-तरह की उलझने का सामना करनी पड़ती है जिससे प्रार्थी को के.सी.सी. कार्ड लेने, पी.एम. किसान बीमा योजना का फायदा लेने, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से दुविधा पैदा होती है जिससे प्रार्थी अपने नाम व प्रार्थी के पिता के नाम को रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रेकर्ड दुरुस्ती करने से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव



नहीं पड़ता है, न ही उक्त खसरों के पड़ौसी खातेदार के हिस्सों में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सूरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करना न्याय संगत है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम देवीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम ही हैं। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमने कभी रेकॉर्ड का पठन करवाया। अभी के.सी.सी. करवाने गये व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है। जिससे मैं उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरुस्ती किये जानें योग्य होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा ओगाला, पटवार क्षेत्र ओगाला, भू-अभिलेख क्षेत्र पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाशत का खेत खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 698/305 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म बा.सो. आराजी में प्रार्थी का नाम देवीलाल की जगह देवाराम व प्रार्थी के पिता का नाम हीराराम की जगह पर हरीराम गलत दर्ज करने पर की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर प्रार्थी का नाम देवाराम की जगह देवीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम की जगह हीराराम को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का नाम देवाराम व हरीराम को दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/1847 दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2025/1148 दिनांक 07.11.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "मौके पर उपस्थित प्रार्थी देवीलाल उर्फ देवाराम ने बताया कि भूलवश राजस्व रेकॉर्ड में देवीलाल पुत्र हीराराम के स्थान पर देवाराम पुत्र हरीराम नाम दर्ज हो गया। बचपन में प्रार्थी को देवाराम के नाम से पुकारते थे, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 679420307331 व राशन कार्ड इत्यादि में देवीलाल पुत्र हीराराम कौम सुनार दर्ज है। प्रार्थी को गांव में भी देवीलाल के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के ग्राम ओगाला के खसरा संख्या 698/305 रकबा 0-6151 हैक्टेयर में देवाराम पुत्र हरीराम दर्ज है, जबकि ग्राम डुंगरी के खसरा संख्या 802, 803, 804 में देवीलाल पुत्र हीराराम कौम सुनार दर्ज है। अतः ग्रामीणों से प्राप्त साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर ग्राम ओगाला के खसरा संख्या 698/305 में देवाराम पुत्र हरीराम कौम सुनार के स्थान पर देवीलाल पुत्र हीराराम कौम सुनार नाम दुरुस्ती किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अं.नि. अंकित करवाए गए।"



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 280/2025 उनवान देवीलाल उर्फ देवाराम बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र हीराराम उर्फ हरीराम जाति सुनार निवासी डूंगरी जिला जालोर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा ओगाला, पटवार क्षेत्र ओगाला, भू-अभिलेख क्षेत्र पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाशत का खेत खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 698/305 रकबा 0-6151 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम देवाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र हीराराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भू.अ./2025/1148 दिनांक 07.11.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदस्तावेज करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।



(बदीनुर्रहमान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/1148

दिनांक:

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
2025

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

सेड़वा (जिला- बाड़मेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 280/2025 अनवान देवीलाल उर्फ देवाराम बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत RLR धारा 136 में नाम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान जी का आदेश क्रमांक/रीडर/2025/1847 दिनांक 19.09.2025 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 280/2025 अनवान देवीलाल उर्फ देवाराम बनाम तहसीलदार सेड़वा में मौजा ओगाला के खसरा नंबर 3698/305 क्रमशः रकबा 0.6151 हैक्टर में अन्तर्गत धारा 136 RLR ACT में नाम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भूअभिलेख निरीक्षक पनोरिया द्वारा दिनांक 23.10.2025 को मौका जांचकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश की गई। जो इस पत्रांक के सलंगन श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

मौका फर्द

~~प्रति~~ ~~उर्फ~~ ~~बा~~
संख्या 10/25
ISO

आज दिनांक 23/10/25 को श्रीमान तहसीलदार संदेवा के आदेश क्रमांक / भूअ/ 1625 दिनांक 13/10/25 के अन्तर्गत संदेवा के उपखण्ड अधिकारी संदेवा के राजस्व आवेदन सं. 280/2025 अन्तर्गत देवीलाल उर्फ देवाराम बनाम तहसीलदार संदेवा के अन्तर्गत धारा 136 RFR Act में नाम डुरुस्ली की तथ्यात्मक मौना रिपोर्ट तैयार करने हेतु हमराह हल्का पत्तवारी अंगाला के साथ मौते पर आये।

मौते पर उपास्थित ग्रामी देवीलाल उर्फ देवाराम व अन्य मौतदारों के रुबक मौका जांच की गई ग्रामी देवीलाल उर्फ देवाराम ने बताया कि बुलबुल राजस्व रेकर्ड में देवीलाल पुत्र हीराराम के स्थान पर देवाराम पुत्र हरीराम नाम दर्ज हो गया, वनपन में ग्रामी से देवाराम के नाम से पुनारहे थे जबकि ग्रामी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड सं. 6794, 2030 7331, व राशन कार्ड इत्यादि में देवीलाल पुत्र हीराराम का नाम सुनार दर्ज है ग्रामी को गांव में भी देवीलाल के नाम से जाना जाता है।

ग्रामी के गांव अंगाला के खसरा सं. 698/305 वरुण 0.615 हेक्टर में देवाराम पुत्र हरीराम दर्ज है जबकि गांव (साल) डुंगरी के खसरा सं. 802, 803, 804 में देवीलाल पुत्र हीराराम का नाम सुनार नाम दर्ज है। अतः ग्रामी से पुछलाफ व साक्ष्य दस्तावेजों के

आधार पर गांव अंगाला के खसरा सं. 698/305 में देवाराम पुत्र हरीराम का नाम सुनार के स्थान पर देवीलाल पुत्र हीराराम का नाम डुरुस्ली किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौते पर बनाई जाकर उपास्थित के हस्ताक्षर / अ. निशान अंकित करवाये गये।

देवीलाल
मुकाश

Mahilal Pranj
23/10/25
(मार्गालाल प्रांज)
पत्तवारी (भू.अ.) अंगाला
तहसील संदेवा

23/10/25

निरीक्षक (भूअ) पनीरिया

नरेश कुमार
धनाराम

देवाराम

तहसीलदार (भू.अ.) संदेवा